

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:- एफ.2(7476)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/18 /02219/2018

जयपुर, दिनांक 24/07/2018

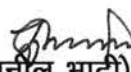
अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर राज्य सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित अधिकारियों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क.स.	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	सुश्री रुचि मित्तल, प्रोग्रामर	जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, श्रीगंगानगर।	• राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा आयोजित सहायक अभियन्ता (आई.टी.) परीक्षा 2018
2	श्री मनोज कुमार मीना, प्रोग्रामर	कार्यालय ए.सी.पी. (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक-बाँली, सवाईमाधोपुर।	• RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS Comb. Exam – 2018
3	श्री मीणा अजीत सिंह रामसहाय, प्रोग्रामर	कार्यालय ए.सी.पी. (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जालौर।	• RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS Comb. Exam – 2018
4	श्री लोकेश शाक्यवाल, प्रोग्रामर	कार्यालय ए.सी.पी. (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, धौलपुर।	• RPSC द्वारा आयोजित Vice Principal Exam-2018
5	श्री पंकज जलदीप, प्रोग्रामर	कार्यालय ए.सी.पी. (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक-डीडवाना, नागौर।	• RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS Comb. Exam – 2018

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त अधिकारियों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
2. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
3. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. प्रशासनिक कारणों वश प्रतियोगी परीक्षा की स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।


(सुनील भाटी)
प्रभारी अधिकारी संस्थापन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. संबंधित अधिकारी।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
- ✓ 4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


प्रभारी अधिकारी संस्थापन